न्यायालयः विशिष्ठ न्यायाधीश, एन0डी0पी0एस0 मामलात, बारां जिला बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारी : प्रमोद कुमार शर्मा, आर0जे0एस0 (डी0जे0 केडर)

आपराधिक विविध सं0 : 91/2026
सीआईएस नम्बर : 223/2026

मलखान पुत्र रामकरण उम्र 40 साल निवासी ग्राम माथनी हाल निवासी रिद्धी–सिद्धी कॉलोनी बारां, थाना कोतवाली बारां, जिला बारां राज0

–प्रार्थी/अभियुक्त–

:: बनाम ::

राजस्थान सरकार जरिये विशिष्ठ लोक अभियोजक, बारां –अप्रार्थी/विपक्षी–

जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा **483 बी0एन0एस0एस0**
एफ0आई0आर0 नं0 174/2026, पुलिस थाना कोतवाली बारां
जुर्म धारा 8/20, 8/29 एन0डी0पी0एस0 एक्ट

उपस्थित : –
1– श्री मनोज कुमार जैन, अधिवक्ता–प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।
2– विशिष्ठ लोक अभियोजक–राज्य की ओर से।

––:: आदेश ::–– दिनांक :– 02.04.2026

1– प्रार्थी/अभियुक्त **मलखान** की ओर से धारा **483 बी0एन0एस0एस0** के प्रावधान के अंतर्गत यह जमानत प्रार्थना पत्र पुलिस थाना कोतवाली बारां की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 174/2026 के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया। जमानत आवेदन की नकल विद्वान विशिष्ठ लोक अभियोजक को दिलाई गई एवं बहस सुनी गई।

2– दौराने बहस प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किये हैं कि प्रार्थी/अभियुक्त से कोई मादक पदार्थ की बरामदगी नहीं हुई है, उसे अपराध में झूंठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त को अपराध में झूंठा संलिप्त करते हुए प्रकरण में उसे गिरफतार कर लिया गया है, जबकि उसके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। प्रार्थी का पूर्व का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नही है। अनुसंधान एवं विचारण में समय लगने की संभावना है। अंत में प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गई।

3– विद्वान विशिष्ट लोक अभियेाजक की ओर से उक्त तर्कों का विरोध करते हुए बहस में यह तर्क किये हैं कि प्रार्थी/अभियुक्त से पुलिस द्वारा काफी अधिक मात्रा में अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद होने के आधार पर जमानत आवेदन पत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी एवं प्रार्थी के विरूद्ध पूर्व का निम्न आपराधिक रिकॉर्ड होना जाहिर किया :–

क्र0सं0	मुकदमा नं0 मय थाना	धारा	चार्जशीट नंबर	निर्णय न्यायालय
01.	72/2000 थाना कोतवाली बारां	447, 323, 34 भा0दं0सं0	40/13.02.2000	न्यायालय जे.एम. बारां द्वारा दिनांक 07.09.2000 को दोषमुक्त किया गया।

4— उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया गया। पुलिस थाना सदर बारां की ओर से प्रेषित अनुसंधान पंजिका एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन व अध्ययन किया गया। अवलोकन से यह प्रक्ट हुआ है कि पुलिस थाना कोतवाली बारां के थानाधिकारी श्री भजनलाल द्वारा दिनांक 24.03.2026 को दौराने गश्त पब्लिक पार्क के पीछे से आते हुए प्रार्थी/अभियुक्त मलखान को सन्देह के आधार पर रोककर उसकी नियमानुसार तलाशी लिये जाने पर उसके कब्जे के ट्रोली बेग में पेकिंग टेप से पेक किये हुए 8 बण्डलों के अन्दर कुल 15.282 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा बिना वैध अनुज्ञापत्र के बरामद होने के आधार पर यह प्रकरण अपराध अन्तर्गत धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में दर्ज किया जाकर प्रार्थी/अभियुक्त को उक्त अपराध के लिये गिरफतार करना बताया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त के कब्जे से बरामद मादक पदार्थ गांजा की काफी अधिक मात्रा 15 किलोग्राम से भी अधिक बरामद होना बताया गया है। इतनी अधिक मात्रा में प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा अवैध मादक पदार्थ गांजे को अपने कब्जे में रखे जाने के संबंध में कोई अनुज्ञापत्र नहीं होना बताया गया है। पिछले कुछ समय से अवैध मादक पदार्थ की तस्करी एवं अवैध व्यापार के मामलो में काफी अधिक वृद्धि हुई है। इस प्रकार मादक पदार्थ के व्यापार एवं तस्करी संबंधी अपराध से समाज के युवा वर्ग को नशे की लत में लेने का गम्भीर खतरा विद्यमान है।

5— अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति एवं बरामदशुदा मादक पदार्थ गांजा की काफी अधिक मात्रा आदि को दृष्टिगत रखे जाने के उपरांत यह न्यायालय प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह जमानत आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित नहीं पाता है।

6— परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **मलखान** की ओर से प्रस्तुत किया गया जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 बी0एन0एस0एस0 अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(प्रमोद कुमार शर्मा)
विशिष्ठ न्यायाधीश,
एन0डी0पी0एस0 मामलात,
बारां जिला बारां (राज0)

7— आदेश आज दिनांक 02.04.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया व हस्ताक्षरित किया गया।

(प्रमोद कुमार शर्मा)
विशिष्ठ न्यायाधीश,
एन0डी0पी0एस0 मामलात,
बारां जिला बारां (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.04.16 18:34:39 IST